REGD, NO. D.L.-33004/99

K P IC IS

The Gazette of India असाधारण **EXTRAORDINARY** 

RRS. of ASI(m)/Steno/Hecm)/He/GESTETHER

**I**KC

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

46

No. 46

सं

भाग II--खण्ड 3---उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2011/माघ 11, 1932 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2011/MAGHA 11, 1932

#### गृह मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 56( अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रबोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय 🕏 अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में समुह 'ग' अनुसविवीय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.--- ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पट संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान,—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड 최 ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आय-सीमा, अईताएं, आदि,---उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आय-सीमा अईताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरहता.---वह व्यक्ति,---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्त यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि 🛸 अधीन अनुज़ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी ।

 शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए ब कारण हैं उन्हें लेखवद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.--इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयू-सीमा में छट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सीनकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है ।

311 GI/2011

### THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

2

[Part II—Sec. 3(i)]

38

			अनुसूच	त्री		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	2338* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।]	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) )	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जा अपेक्षित शैक्षिक औ		के लिए	विहित आ	यु और शैक्षिक		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)			(	9)		(10)
लागू नहीं होता			लागू न	हीं होता		लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : प्रतिनियुक्ति/आमेलन् भरे जाने वाली रिकि (i) पचहत्तर प्रतिश (ii) पचीस प्रतिशत सकने पर प्रोन्नति द्व	त द्वारा तथा विभि तयों की प्रतिशतत (11) गत प्रोन्नति द्वारा ा विभांगीय परीक्ष	न्न पद्धतियों द्वारा ग	प्रोन्नति य ऐसे हैड व अध्यधीन	ा प्रतिनियुक्ति/ फ्रांस्टेबल (अनुर	आमेलन किया जाएगा (12) सचिवीय) में से प्रोन्नति द दीय रिजर्व पुलिस बल प	दशा में, वे श्रेणियां जिनसे नो चिकित्सीय प्रवर्ग शेप 1 के में उस श्रेणी में पांच वर्ष से
			<b>टिप्पण</b> 1 के लिए 1 जिससे छ संरचना क की सिफा	। : प्रोन्नति के किसी अधिका ठे केन्द्रीय वेत ठा विस्तार किय	लिए न्यूनतम अर्हक सेव री द्वारा 1 जनवरी, 200 न आयोग की सिफारिश 11 गया है, नियमित आध	ा की संगणना करने के प्रयोजन 6 से पहले या उस तारीख से ों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन ार पर की गई सेवा को, आयोग ोड वेतन या वेतनमान में की गई
			पात्रता सेव ज्येष्ठ व्य उनके द्वार के आधे उन्होंने अ पहले ही	त्रा पूरी कर ली क्तियों के संबं 1 की गई ऐसी से अधिक से उ पने ऐसे कनिष पूरी कर ली	है, प्रोन्नति के लिए विच ध में भी विचार किया अर्हक या पात्रता सेवा, या दो वर्ष से, इनमें से उ ठ व्यक्तियों सहित, जिन्ह	ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक य बार किया जा रहा हो वहां उनसे जाएगा परन्तु यह तब जब कि अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेव बो भी कम हो, कम न हो औ होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेव गी में प्रोन्नति के लिए अपनी हो ।

.....................................

-

[भाग ll-खण्ड 3(i)]

(12)

विभागीय परीक्षा : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड-1. 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 2400 रु. में हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
					(	14)	
					लागू नहीं होता ।		
2 दो कमांडेन्ट, व	केन्द्रीय रिजर्व पुलि	स बल	—सद	त्य			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2. सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो)	188* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बी (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए ग अनुदेशों या आदेशों व अनुसार सरकारी सेवकों व लिए साधारण अभ्यर्थियों व दशा में शिथिल करव चालीस वर्ष तक औ अनुसूचित जातियों व लिए शिथिल करके पैंताली वर्ष तक की जा सकती है)	
						टिपण्णी : आयु सोम अवधारित करने के लि निर्णायक तारीख भारत अभ्यर्थियों से आवेदन प्रा करने के लिए नियत की म अंतिम तारीख होगी । न, f वह अंतिम तारीख होगी । न, f वह अंतिम तारीख जो अस मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालें त्रिपुरा, सिकिक्म, जम्म कश्मीर राज्य के लद्दा खंड, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिले त चंबा जिले के पांगी उपखं अंदमान और निकोबार द्व या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है ।	

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTE	RAORDINARY	[PARTIE SEC. 3(i)
(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 + 2 या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण	लागृ नहीं होता	दा वर्ष
(2) कुशल परीक्षण		
(क) श्रुतलेख : दस मिनट मे अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति		
(ख) अनुवाद : अंग्रेजी के लिए पचास मिनट और हिन्दी के लिए पैंसठ मिनट		
(कुशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर संचालन किया जाएगा)		
(3) शारीरिक और चिकित्सीय मानकों के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे :		
(क) शारीरिक मानक :		
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :		
(i) ऊँचाई : साधारण/अन्य पिछडे वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, 162.5 सें.मी. ।		
(ii) छाती : बिना फुलाए–77 सें.मी.		×1
फुलाकर-82 सें.मी.		
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, बिना फुलाए–76 सें.मी. और फुलाकर 81 सेंमी. ।		
(iii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।		
महिला अभ्यर्थियों के लिए :		
(i) ऊँचाई : साधारण/अन्य पिछडे वर्ग/अनुसूचित जाति के लिए जिसके अंतर्गत गोरखा/गढ़वाली/कुमाउंनी/डोगरा और मराठा भी हैं, 155 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी 4 हैं, 154 सें.मी. ।		
(ii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।		
(ख) दृश्य मानक :		
पुरुष और महिला दोनों के लिए दृश्य मानक दाहिनी आंख 6/6 और बाईं आंख 6/12 या चस्मा के बिना दोनों आंख 6/9		
(11)	х.	(12)
सीधी भर्ती द्वारा ।		लागू नहीं होता ।
(13)	(	14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	- लागू न	हीं होता ।
<ol> <li>पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष</li> </ol>		
2. दो कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —-सदस्य		

माग ॥–खण्ड 3	(1)]		भारत का राजपः			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हैड कांस्टेबल अनुसचिवीय)	2159* (2010) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रुपये) + ग्रेड वेतन 2400 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिपप्णी :आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। नेकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गिपुरा, सिकिक्म, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल पद्रेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या समतुल्य चरीक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष
<ul><li>(iii) कुशल परीक्षण</li></ul>		
(क) अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम पैंतीस शब्द प्रति मिनट की गति		
<li>(ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम तीस शब्द प्रति मिनट की गति</li>		
टिप्पण :		
(1) अनुज्ञान समय दस मिनट होगा		

(2) अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक बाद के लिए औसतन पांच की डिप्रेशन के साथ अंग्रेजी में प्रति घंटा 10500 की डिप्रेशन या हिन्दी में प्रति घंटा 9000 की डिप्रेशन के समरूप हो ।

💷 कुशल परीक्षण केवल कम्पयुटर पर होगा।

(iii) शारीरिक और चिकित्सीय मानकों के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे :--

(क) शारीरिक मानक :

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :-

(i) ऊंचाई : साधारण/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के अर्थ्यार्थियों के लिए 165 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, 162.5 सें.मी. ।

(ii) छाती : बिना फुलाए-77 सें.मी.

फुलाकर-82 सें.मी.

(iii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

महिला अभ्यर्थियों के लिए :-

(i) ऊंचाई : साधारण/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के लिए जिसके अंतर्गत गोरखा/गढ़वाली/कुमाउंनी/डोगरा और मराठा भी हैं, 155 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, 154 3.74. 1

(ii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

(ख) दृश्य मानक :

पुरुष और महिला दोनों के लिए दृश्य मानक दाहिनी आंख 6/6 और बांई आंख 6/12 या चश्मा के बिना दोनों आंख 6/9

(11)	(12)
(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे अधिकारी जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुजिस बल के
(ii) तीस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने	कांस्टेबल की क्षेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है (सभी प्रवर्ग जिसके अंतर्गत
पर सीधी भर्ती द्वारा ।	ट्रेडसमैन/तकनीकी/अनुसचिवीय भी हैं) जिनकी आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक न
	हो (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पचास वर्ष) तथा
	जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
	शैक्षिक और अन्य विहित अर्हताए हैं, में से विभागीय परीक्षा द्वारा 1
(12)	(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से	मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता 1	
1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	अध्यक्ष		
2. दो कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	सदस्य		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5	(6)	(7)
4. हैड कांस्टेबल (गेस्टेटनर प्रचालक)	I* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है 1	साधारण सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 &)+ ग्रेड वेतन 2400 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण					
(8)	(9)	(10)				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				
(11)		(12)				
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :					
		चिकित्सीय प्रवर्ग शेप-1 में ऐसे कांस्टेबल (दफ्तरी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास गेस्टेटनर मशीनों के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता है ।				
	के लिए किसी अधिकारी द्वारा जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग संरचना का विस्तार किया गया है की सिफारिशों पर आधारित विस्	ततम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन । जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से । की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन , नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग तारित तत्स्थानी गेड वेतन या वेतनमान पर की				
	गई सेवा समझी जाएगी । टिप्प्ण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अ पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रह ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु य उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रत पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपन अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।					
(13)		(14)				

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध मे	र्भे विचार करने	लागू नहीं होता ।
के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		
<ol> <li>पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल</li> </ol>	—अध्यक्ष	
<ol> <li>सहायक निदेशक या कमाडेन्ट</li> </ol>	सदस्य	
🏂 संयुक्त सहायक निदेशक या उप-कमाडेन्ट	—सदस्य	
	-	

[m. स. आर. 1X-3/2010-मंत्रा./सी.आर.पी.एफ.-कार्मिक 11 ]

बरून कुमार साइ, निदेशक (कार्मिक)

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 27th January, 2011

G.S.R. **56(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949(66 (Ministerial) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such (Ministerial) Recruitment hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group Commisterial posts, in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :—

L. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (Combatised Group °C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2010.

 $(2)\$  They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These **rules** shall **apply** to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. —The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.

#### THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

44

[PARTII-SEC. 3(i)]

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, **etc.—The** method of **recruitment**, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall **be eligible** for appointment to the said post :

Provided that the **Central** Government may, if satisfied that such marriage is **permissible** under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is **of the** opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes. Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-	Whether benefit of added years of <b>service</b> admissible under Rule 30 <b>of the</b> Centnl	Age-limit for direct recruits	
				selection post	Civil Services (Pension)Rules, 1972		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. Assistant Sub-Inspector (Ministerial)	2338* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial)	Pay Band-1, (Rs. 5200- 20200)+ Grade Pay Rs. 2800	Selection	Not applicable	Not applicable	
Educational and required for dire		prescrib	er age and edu bed for direct e of promotee (9)	recruits wil	ll apply in	of probation, if any	
Not applie	cable		Not applicabl	e		applicable	
Method of <b>recr</b> recruitment or b or absorption an to be filled by ve	y promotion c d percentage (	or by deputation of the vacancies		from which	nent by promotion or de promotion or deputat		
(1	1)				(12)		
<ul><li>(i) Seventy-five</li><li>(ii) Twenty-five</li><li>examination</li></ul>		partmental	rendere	d not less th	nongst Head Constable an five years regular set lice Force subject to med	vice in the grade in the	
			for pror	Note <b>1</b> : For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an office prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay			

SCHEDULE

-		v raadi	1
1 TILE	I-खण्ड	2	(i)
1 7171	- 6 - 6	3	

E

6

-

.

311 9011-2

structure based on the six Central Pay **Commission recommendations** has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(12)

45

9

Note 2 : Where juniors who have completed **their qualifying** or eligibility service are being considered for promotion, their seniors should also be considered provided they are not **short of the** requisite qualifying or eligibility service by more than **half of** such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have **successfully** completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Departmental Examination :— Officers of the Central Reserve Police Force having three years of regular service in the post of Head Constable (Ministerial) in the Pay Band-I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)		(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for consider promotion consisting of =—	dering	Not applicable.
I. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force	Chairman	
2 Two Commandants, Central Reserve Police Force	-Members	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Sub-Inspector (Steno)	188* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	GeneralCentral Service Group <b>'C'</b> Non- Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-1, Rs. 5200- 20200 plus GradePay of Rs. 28400	Not applicable	Notapplicable	Between 18 an 25 years (Relaxable for Govern- ment servants up to the age of forty years in the case of general candi- dates and up to forty- five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the or orders issued by the Central Govern- ment from timeto time). Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,

#### THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

(7)
Arunachal Pradesh,
Mizoram, Manipur,
Nagaland, Tripura,
Sikkim, Ladakh Division
of Jammu and Kashmir
State, Lahaul and Spiti
District and Pangi Sub-
division of Chamba
District of Himachal
Pradesh, the Union
Territory of the
Andaman and Nicobar
Islands or the Union
territory of
Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
(1) Pass in <b>10+2</b> or equivalent examination <b>from</b> a recognised Board	Notapplicable	Two years
or University;		
(2) Skill test :		
(a) Dictation : For ten minutes <b>at eighty</b> words per minute.		24
(b) <b>Translation :</b> Fifty minutes for English and sixty five minutes for Hindi.	)r	
(Skill test shall be conducted on computer only)		
(3) Physical and medical standards as per details below :		
(A) Physical Standard :		
For male candidates:		
(i) Height: 165 cms for General/Other Backward Class/Scheduled Cast candidates and 162.5 cms for Scheduled Tribe candidates includin Adivasis of all StatesNnion territory.		
(ii) Chest: Unexpanded77 cms.		
Expanded—82 cms		
For Scheduled Tribe candidates including Adivasis of all <b>States/Unio</b> Temtories Unexpanded—76 crns and 81 crns expanded.	on	
(iii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standar	d.	
For female candidates :—		
(i) Height: 155 cms for General/Other Backward Class/Scheduled Cas including Gorkhas / Garhwalies / Kumaonese/Dogras and Maratha and 154 cms for Scheduled Tribe candidates including Adiva candidates of all States/Union Territories.	as	
(ii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standard	d	
(B) Visual Standard :		
Visual standard both for male and female should be $616$ right eye ar $6/12$ left eye or $619$ both eyes without optical device.	nd	

দ্মান II–खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 (11)(12)By direct recruitment. Not applicable (13)(14)Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :---Not applicable. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve ---Chairman Police Force Bal Two Commandants, Central Reserve Police Force -Members 2 (6) (7)(I) (2)(3) (4)(5) Between 18 and 25 years 3. Head 2159\* Pay Band-1, Not Not applicable General Central (Relaxable for Govern-Constable (2010)Service Group Rs. 5200applicable 'C' Non-20200 +ment servants up to the (Ministerial) \*Subject to age of forty years in the variation Gazetted, Grade Pay case of general candidepending (Ministerial) of Rs. 2400 dates and up to fortyon workload. five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union of

Territory Lakshadweep ).

( last )		(Lel)
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	THE GAZETTE OF I	NDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(8)	(9)	(10)
(i) Pass in 10+2 or equivalent examination from a recognised Board	Not applicable	Two years
or University;		
(ii) Skill Test :		
(a) English Typing with minimum speed <b>of thirty</b> five words per minute.		
(b) Hindi Typing with minimum speed of thirty words per minute.		
Notes.—		
(1) Time allowed shall be ten minutes.		
(2) Thirty five words per minute in English or <b>thirty</b> words per minute in Hindi shall <b>correspond</b> to 10500 Key Depression per <b>Hours</b> in English or 9000 Key Depression per Hours in Hindi with an average of five key depressions for each word.		
(3) Skill test shall be conducted on computer only.		
(iii) Physical and medical standards as per details below :		
(A) Physical Standard :		
For malecandidates :		
(i) Height: 165 crns for <b>General/Other</b> Backward <b>Class/Scheduled</b> Caste candidates and 162.5 crns for Scheduled Tribe candidates including Adivasis of all <b>States/Union</b> Territory.		
(ii) Chest : Unexpanded —77 crns .		1
Expanded—82 crns		
For Scheduled Tribe candidates including Adivasis of all States 1 Union territory Unexpanded—76 crns and 81 <b>cms</b> expanded.		
(iii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standard.		
For female candidates :—		
(i) Height: 155 crns for <b>General/Other</b> Backward <b>Class/Scheduled</b> Caste including Gorkhas/Garhwalies/Kumaonese/Dogras and <b>Marathas</b> and 154 <b>cms</b> for Scheduled Tribe candidates including Adivasi <b>of all States/</b> Union Territory.		
(ii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standard.		
(B) Visual Standard :		
Visual standard both for male and female should be 616 right eye and		

(11)	(12)
(i) Seventy per cent by direct recruitment. (ii) Thirty per cent by departmentalexamination failing which by direct recruitment.	<b>Departmental</b> examination from amongst <b>officers</b> of Central Reserve Police Force having three <b>years</b> regular service in the grade of Constables (all categories including tradesman/technician/ministerial <b>of Central</b> Reserve Police Force of not <b>more</b> than forty-fiveyears of age (fifty <b>years</b> for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes) and possessing educational and other prescribed <b>qualifications</b> for the direct recruits under column 8.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :	Not applicable.
2. Two Commandants, Central Reserve Police Force —Members	

A A Street or

-

[भाग II-खण्ड 3(i)]			भारत का राज	13		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Head constable (Gestemer Operator)	1 <sup>*</sup> (2010) 'Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-1, Rs. <b>5200-</b> 20200 <b>+</b> Grade Pay of Rs. <b>2400</b>	Selection	Not applicable	Not applicable
	(8)		(9)			(10)
Not aj	pplicable		Not applicable	e	Ν	Not applicable
	(11)				(12)	
By promotic	n.		Shape-I proficie Note 1 : for prom prior to structu recomm rendered based on	with five ncy in opera For the purp notion. the s 1st January re based nendations h d in the co n the recom	years regular service ating and maintaining poseofcomputing the service rendered on a . 2006 or the date fin on the sisth Cen as been <b>extended</b> . sh rresponding grade <b>p</b> mendations of the <b>C</b>	
			Note 2 : Where juniors who have completed their quali eligibility service are being considered for promotion, thei shall also be considered provided they are not short of the qualifying or eligibility service by more than half of such qu or eligibility service or two years. whichever is less a successfully completed their probation period for promotion next higher grade along with their juniors who have already co such qualifying or eligibility service.			

	oup <b>'C'</b> Departmental Promotion Committee (for consident of consisting of consistent	dering	Not applicable.
I.	Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force	— Chairman	
2.	Assistant Director or Commandant	Member	
3.	Joint Director or Deputy Commandant	—Member	

[I. No. K. IX-.3/2011-Min./CRPF/Pers-II]

RARUN KUMAR SAHU, Director (Personnel)

 Monende f compendation and - Asicon, Asicst, He Cacar of the former of the sector of the sector

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 स.
 307]
 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2011/ज्येष्ठ 19, 1933

 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2011/JYAISTHA 19, 1933

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th June, 2011

G.S.R. 443(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 56(E), dated the 27th January, 2011, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st January, 2011,—

(a) on page 9,---

- (i) against the post of Assistant Sub-Inspector (Ministerial), in column (12), in Note 2, for "should", read "shall";
- (i) against the post of Assistant Sub-Inspector (Steno),---
  - (A) in column (4), for "Rs. 28400", read"Rs. 2800/-";
  - (B) in column (7), for "18 an 25 years", read "18 and 25 years";
- (b) on page 11; in column (13), in item 1, for "Central Reserve Police Force Bal", read "Central Reserve Police Force";
- (c) on page 13, against the post of Head Constable(Gestetner Operator), in column 13, in item 3, for "Joint Director", read "Joint Assistant Director".


[F. No. R. IX-3/2011-Min./CRPF/Pers-II]

AJAY K. **SINGH**, Director (Pers)

RRs. of SICM>/Inspcm)/SMLCM)/



REGD.NO.D.L.-33004/99





## अरत का रजपत्र The Gazette of India असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 604] No. 604]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2010/कार्तिक 7, 1932 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2010/KARTIKA 7, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 868(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2003 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (अनुसचिवीय) तथा सुबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उसका संबंध उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय), और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.---वह व्यक्ति,----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

 शिथिल करने की शक्ति,—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

 व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

4226 GI/2010

#### [Part II—Sec. 3(i)]

#### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुसूची								
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड	चर				वर्षों का फायदा
			वेतन या	अश		केन्द्रीय सिविल से		
			वेतनमान	अचय	न पद	1972		के अधीन अनुज्ञेय है
		(-)					या न	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5			(6	
1. उप निरीक्षक (राज्य किरीक)	1970* (2010)	साधारण	वेतन बैंड – 2	चर	ान		लागू नह	डा हाता
(अनुसचिवीय)	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा समूह ''ख''	9300 - 34800					
	आधार पर परिवर्तन किया	समूह ''ख'' अराजपत्रित	रू० + ग्रेड					
	जा सकता है।	अराजपात्रत (अनुसचिवीय)	वेतन 4200 रू0		÷			
L			·		1			
सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती कि		किए जाने वाले		रेवीक्षा व			तिः भर्ती सीधे होगी
	जाने वाले जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अवधि,			ो, यदि	कोई		नति द्वारा या	
व्यक्तियों के लिए					हो।			/ आमेलन द्वारा
आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षित	CALL CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	क्तेयों की दशा में			तथा विभिन्न पद्धतियों द		
	और अन्य अर्हत	१ए लागू ह	ोंगी या नहीं।	ो या नहीं।			पाली रिक्तियों की	
(7)	(a)				Я	तिशतता		
(7) लागू नहीं होता	(8) लागू नहीं होत	ग नग	(9) नहीं होता		(10) दो वर्ष			(11) नति द्वारा
011 181 8101		ા ભાગ	יואס ואר		५। ५५		ייוא	
प्रोन्नति / प्रति	नियुक्ति/आमेलन	द्वारा भर्ती की दः	शा में श्रेणियां जिन	से	यदि	विभाग	ीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
7	ग्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति	त/आमेलन किया	जाएगा।		सगि	मेति है	तो उसकी	किन परिस्थितियों
					~	संर	चना	में संघ लोक सेवा
								आयोग से परामर्श
								किया जाएगा।
		(12)					3)	(14)
								लागू नहीं होता
				2007			नेति (प्रोन्नति	
					47 1et	९).− पुरि	रस उप	
अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब						ुःए रीक्षक,	IVI -04	
	व्वारा की ग						र्व पुलिस बल	
	ावा के आधे से अधि				– अध		3	
	और उन्होंने अपने प				2. दो	कमाण्	डेन्ट,	~
	वा पहले ही पूरी व			ग्रेन्नति			र्व पुलिस बल	
के लिए अपनी प	रिवीक्षा की अवधि र	नफलतापूर्वक पूरी	कर ली हो।		– सव	रस्य –	1 और 2	

टिप्पण :- तारीख 25 सितम्बर, 2003 तक सीधे नियुक्त उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) उसी पद पर लगातार कार्य करते रहेंगे और सा.क.नि. संख्या 192 तारीख 14/03/1989 द्वारा अधिसूचित भर्ती नियम के अनुसार आशुलिपिक और अनुसचिवीय प्रवर्ग अपने-अपने उत्कम में उपलब्ध थे, प्रोन्नति अवसरों का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अतः सा.क.नि. संख्या 192 तारीख 14/03/1989 द्वारा जारी भर्ती नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) पदों के लिए विहित कोटा को भरने के लिए आयोजित किए जाने वाले उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) विभागीय परीक्षा में तारीख 25 सितम्बर, 2003 तक सीधे नियुक्त पात्र और इच्छुक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) नियमित रूप से शामिल होते रहेंगे।

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निरीक्षक (अनुसचिवीय)	588* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	अराजपत्रित	वेतन बैंड – 2 9300 – 34800 रू० + ग्रेड वेतन 4600 रू०	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)	(13)	(14)
ऐसे उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष तक नियमित		लागू नहीं होता
सेवा की है।	समिति (प्रोन्नति के लिए):	
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी	1. पुलिस उप महानिरीक्षक,	
अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा		
हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु	अघ्यक्ष	
यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित	2. दो कमाण्डेन्ट,	
अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल –	<u>` 1</u>
कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	सदस्य – 1 और 2	
ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगली उच्चतर श्रेणी में		4
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

	(~/	(3)	(4)	· (5)	(0)
मेजर व	196* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन केया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड – 2 9300 – 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4800 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)	(13)	(14)
ऐसे उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष तक नियमित सेवा की	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं
है।	समिति (प्रोन्नति के लिए):–	होता
टिप्पण : जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता	1. पुलिस उप महानिरीक्षक,	
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल –	e
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा	अध्यक्ष	
की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक	2. दो कमाण्डेन्ट,	
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल –	
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं,	सदस्य – 1 और 2	
अगली उच्चतर	2 · · · ·	
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		*)

[फा. सं. आर-IX-1/2010-मंत्रा./के.रि.पु.बल/कार्मिक-2]

बरुण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MINISTRY OF HOME & FAIRS

[PART II---SEC. 3(i)]

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 28th October, 2010

**G.S.R. 868(E).**—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force Combatised (Group 'C' and 'D' posts), Recruitment Rules, 2003, and the Central Reserve Police Force Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2007, in so far as it relates to the post of Sub-Inspector (Ministerial), except as respect things done or omitted to be done before such supersessions, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial), in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Central 'Reserve Police Force Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale. The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be **as** specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification** No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving -** Nothing **in** these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other **Special** Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection port or non- selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit	IEDULE Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct cecraits will apply in the case of promotees.	Period o: probation, if any		In case of recruitment by promotion I deputation I absorption, grades Corn which promotion I deputation I absorptics to be made.	If a departmental premotion committee exists what is its composition	Circumstances In whieb Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(1) 1. Sub-	(2) 1970*	(3) General	(4) Rs. 9300-	(5) Selection	(6) Not	(7) Not	(8) Not	(9) Ndt	<b>(10)</b> Two	<b>(1</b> I) By	(12) Assistant Sub-Inspector	(13) Group 'B'	(14) Not applicable
Inspector (Ministerial)	(2010) *Subject to variation dependent on workload	Ceatral Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial)	34800 plus Rs. 4200/- Grade pay	* * *	applicable	applicable	applicable	applicable	years'	promotion.	(Ministerial) with six years of regular service in the grade subject to medical category SHAPE-1. Note : Where juniors who have completed their qualifying I eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the rext higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying I eligibility service.	promotion) - 1. Deputy Inspector General of Police, Ceotral Reserve Police Force-Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force- Members :	

3(i)]

KI-MAN

SHAIPING

2

Note :-Sub Inspector (Steno) and Ass Sub Inspector (Ministerial) appointed directly upto 25th September, 2003 will continue to work in the same level and enjoy the same promotional avenues as were available in the hierarchy of the Stenographic and Ministerial Cadre respectively as per recruitment rules notified wide GSR No-192 dated 14/03/1989. Thus the eligible and willing Sub Inspector (Steno) and Asstt. Sub Inspector (Ministerial) appointed directly up to 25th September, 2003 will continue to appear in the Sub Inspector (Min,) departmental examination to be conducted every year for filling up the prescribed quota for the post of Sub Inspector (Min) as pa recruitment Riles issued vide GSR No-192 dated 1410311989.

4226 47/10-2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

5

•

(14)	Applicable.
(13)	Group 'B' Departmental Promotion (for promotion) 1. Deputy Inspector General of Police Central Reserve Police Fo. e - <b>Chairman.</b> <b>2.</b> Two Commandants, Central Reserve Police Force - Members - I and II
(12)	Sub-Inspector (Ministerial) with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.
(11)	Not By applicable promotion
(10)	applicable
(60)	applicable
(8)	Not Not applicable applicable
Θ	applicable
(9)	Not applicable
(2)	Selection
(4)	Rs. 9300 34800 Rs. 4600/- Grade pay
(3)	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted (Ministerial)
(2)	588* * Subject to variation dependent workload
(1)	2.Inspector 588* (Ministerial) (2010) * Subject to variation dependent on workload

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# HKCI IN KISUM

-----

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2011/ज्येष्ठ 19, 1933 No. 307] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2011/JYAISTHA 19, 1933

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### CORRIGENDUM

#### New Delhi, the 6th June, 2011

G.S.R. 443(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 56(E), dated the 27th January, 2011, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st January, 2011,—

(a) on page 9,---

- (i) against the post of Assistant Sub-Inspector (Ministerial), in column (12), in Note 2, for "should", read "shall";
- (ii) against the post of Assistant Sub-Inspector (Steno),-

(A) in column (4), for "Rs. 28400", read "Rs. 2800/-";

- (B) in column (7), for "18 an 25 years", read "18 and 25 years";
- (b) on page 11, in column (13), in item 1, for "Central Reserve Police Force Bal", read "Central Reserve Police Force";
- (c) on page 13, against the post of Head Constable (Gestetner Operator), in column 13, in item 3, for "Joint Director", read "Joint Assistant Director".

[F. No. R. IX-3/2011-Min./CRPF/Pers-II] AJAY K. SINGH, Director (Pers)

2151 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.